राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4245/2025

सहजाद खान

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, वन एवं संरक्षक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 03.10.2025
आदेश की दिनांक : 03.10.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार वन विभाग में वर्ष 2004 को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में टेक्नीशियन ग्रेड के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी का मूल पदस्थापन स्थान कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी उनियारा जिला टोक है। वही पर पदस्थापित है। प्रत्यर्थी संख्या तीन के द्वारा अपीलार्थी को कार्यवस्था के लिए रेंज उनियारा जिला टोंक से टोंक रेंज केम्पस में आदेश दिनांक 27–2–2025 के द्वारा लगा दिया। अपीलार्थी ने उक्त आदेशों की पालना में कार्यग्रहण कर लिया। जबकि मूल पदस्थापन स्थान से दूरी 50 कि0मी दूर है। (अनुलग्नक–1) जबकि अपीलार्थी को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या दो के द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–1–2025 के द्वारा अपीलार्थी की जगह अन्य कार्मिक का पदस्थापन हो जाने के कारण अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30–5–2025 को मध्यान पश्चात रेंज उनियारा मुख्यालय अलीगढ से उप वन सरंक्षक टोंक में उपस्थित देने के आदेश दिए अपीलार्थी ने उक्त आदेशों की पालना में कार्यग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी का क्षेत्रीय वन अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागोर के द्वारा आदेश क्रमांक के द्वारा दिनांक 9–12–2024 अपीलार्थी को सपष्ट है कि दिनांक 1–11–2024 से 1–12–2024 तक लगवाई गई है जो कि अपीलार्थी के पदस्थापित स्थान से करीब 320 कि०मी० दूर है अपीलार्थी को कोई टी ए/डी ए नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा दिनांक 29–11–2024 के द्वारा आदेश जारी कर अपीलार्थी को एफ टी सी कोर्स डायरेक्टर डी सी एफ

लाव दुसी सी एफ अजमेर के अधीन उपस्थिति देने के आदेश दिए। जबकि कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। (अनुलग्नक–4)

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी को 27–2–2025 के आदेशों की पालना में रेन्ज उनियारा जिला टोक से टोक रेंज केम्पस में लगाया गया था। उक्त आदेशों की पालना में वापिस अपीलार्थी को मूल पदस्थापन स्थान रनेज उनियारा जिला टोक के लिए कार्यमुक्त किया जावे। तथा यात्रा भत्ता बकाया है, नियमानुसार दिलवाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष